FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत ....जिला कलक्टर, बालोतरा.......... बमुकाम ....बालोतरा..........

..........विकास अधिकारी, सिणधरी.......... बनाम ....ग्राम पंचायत मनावास व अन्य..........

किस्म मुकदमा ....निगरानी धारा 97 रा. पंचायतीराज अधि. 1996.......... नं. 04/2026 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.26	प्रार्थी के अधिवक्ता कैलाश पुरी उपस्थित। प्रार्थी ने यह निगरानी अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत पेश कर ग्राम पंचायत मनावास, तहसील सिणधरी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 64 दिनांक 05.12.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली आईंदा दिनांक 14.1.26 को पेश हो। जिला कलक्टर बालोतरा	
14.01.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी आईंदा दिनांक 28.01.26 को पेश हो। जिला कलक्टर बालोतरा	नोटिस जारी 14.1.26
28.1.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल प्राप्त हुआ। लिहाजा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस पुर्ण। अप्रार्थीगण बवाजूद सूचना अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में प्रश्नगत आलोच्य पट्टा के संबंध में पूर्व में ही न्यायालय हाजा के समक्ष कुल 14 निगरानी प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें वांछित अनुतोष एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में चाहे गये अनुतोष समान है। न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन प्रकरणों का अंतिम निर्णय हो गया है, जिसमें आलोच्य पट्टे को निरस्त किये गए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में पूर्व में विचाराधीन प्रकरणों में समान अनुतोष होने से एवं अंतिम निर्णय होने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। उक्त निगरानी का निर्णय पूर्व में हुए निर्णय को माना जाए। पत्रावली फैसल उपरांत नंबर से कम हो। जिला कलक्टर बालोतरा	